राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. :— 356 / 2024

निर्णय दिनांक : 01.04.2025

शिशुपालराम बनाम अमीचन्द वगै0

शिशुपालराम पुत्र बिरजू जाति जाट पेशा काश्त निवासी गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

— वादी

बनाम

1. अमीचन्द पुत्र भूराराम
2. राजवीर पुत्र भूराराम
3. हरिराम पुत्र भूराराम
4. जयकोरी पुत्री भूराराम
5. सरबती पुत्री भूराराम
6. बबलेश पुत्र जगदेवा
7. महेन्द्र पुत्र जगदेवा
8. शीशराम पुत्र जगदेवा
9. सुशीला पुत्री जगदेवा
10. इमरता देवी पुत्री जगदेवा

समस्त जाति जाट निवासीगण गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी, झुंझुनूं।

11. औंकार सिंह पुत्र मामराज जाट निवासी गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (मृतक)

11/1. श्रीमति परमेश्वरी देवी पत्नी औंकारसिंह
11/2. मनोज पुत्र औंकारसिंह
11/3. बुद्धिप्रकाश पुत्र औंकारसिंह
11/4. अनिता पुत्री औंकारसिंह
11/5. संजू पुत्री औंकारसिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी, झुंझुनूं।

12. ओमप्रकाश पुत्र बंशीधर
13. विजेन्द्र सिंह पुत्र बंशीधर
14. राजेश कुमार पुत्र बंशीधर
15. रामप्रताप पुत्र बंशीधर
16. प्रमिला पुत्री बंशीधर
17. सुमित्रा पुत्री बंशीधर
18. रामादेवी पत्नी बंशीधर

समस्त जाति जाट निवासीगण गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी, झुंझुनूं।

19. तारावती पत्नी नाहर सिंह
20. सुरेन्द्र पुत्र नाहर सिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण गिलों की ढाणी तन भोड़की तहसील गुढागौडजी, झुंझुनूं।

21. धर्मवीर पुत्र प्रभू
22. दिनेश पुत्र प्रभू
23. बेला देवी पत्नी प्रभू
24. सुरेश पुत्र चिमनाराम
25. नेकीराम पुत्र चिमनाराम
26. भगवान सिंह पुत्र नारायण

26/1. रामसहाय पुत्र भगवान सिंह
26/2. भूपेन्द्र पुत्र भगवान सिंह
26/3. गुलझारी पुत्र भगवान सिंह
26/4. सजना पुत्री भगवान सिंह

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

26/5. सरबती पुत्र भगवान सिंह

27/6. तारू पुत्री भगवान सिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी, झुंझुनूं।

27. रामनिवास पुत्र लिक्ष्मण जाति जाट निवासी गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं (राज.)

28. श्योदान पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासी गिलों की ढाणी तन सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.) – दौराने दावा मृत्यु हो गई।

28/1. रामकुमार पुत्र श्योदान

28/2. बुटीराम पुत्र श्योदान

28/3. केशरी देवी पुत्री श्योदान

28/4. सुभीता देवी पुत्री श्योदान

समस्त जाति जाट निवासीगण गिलों की ढाणी तन सिगनौर तहसील गुढागौड़जी, झुंझुनूं।

29. आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा टोडी

30. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सिंगनौर

31. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा भोड़की।

32. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वाद वादीगण के संक्षेप में ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1103/740, 1104/741, 1325/708, 1645/705, 1646/707, 700, 701, 702, 706, 731, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 744, 745 व 746 रकबा 0.14 है0, 0.52 है0, 0.31 है0, 0.61 है0, 1.65 है0, 0.93 है0, 4.73 है0, 0.98 है0, 0.50 है0, 1.49 है0, 1.08 है0, 0.02 है0, 1.17 है0, 0.11 है0, 1.98 है0, 1.14 है0, 0.02 है0, 0.23 है0, 0.13 है0 व 2.33 है0 कुल किता खसरा 20 कुल रकबा 20.07 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि को दावे में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोंधित किया गया है, जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व शेष हिस्सा रिकॉर्ड अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 28 का दर्ज है। उपरोक्त आराजियात को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अभी तक विधिवत बाउण्डस एवं मेटस के द्वारा बंटवारा नहीं हुआ है.। उक्त भूमि रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज है, परन्तु मौके पर आपसी सहमति से अलग–अलग सीमा बनाकर तथा रास्ते कायम कर अपनी अपनी भूमि काश्त करते है, परन्तु खाता शामलाती होने के कारण भूमि का उपयोग उपभोग सरकारी अन्य सुविधा प्राप्त करने में अनावश्यक पेचिदगियां होती है। इसलिए वादी ने अपने कब्जे की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहता है। इस बाबत् वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 10.02.2022 को निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने विभाजन कराने से इन्कार करते हुए खसरा नम्बर 1104/741 में आने जाने से रोक दिया इसलिए यह दावा न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त विवादित आराजी में वर्णित खसरा नम्बर 702 रकबा 0.98 है0, खसरा नम्बर 1103/740 रकबा 0.14 है0 में हिस्सा 1/2 रकबा 0.07 है पूर्वी भाग, भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 1.98 है0 का पूर्वी भाग हिस्सा 1/2 रकबा 0.99 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 739 रकबा 0.11 है0 में हिस्सा 1/2 अर्थात् 0.550 है0 कुल भूमि रकबा 2.095 है0 भूमि पर वादी काबिज काश्त करता है तथा भूमि में चाह का निर्माण कर अपने–अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई करता है तथा मौके पर पुख्ता मकानात बनाकर काबिज काश्त है। भूमि खसरा नम्बर 740 का स्पर्शी खसरा नम्बर 1104/741 का काबिज खातेदार प्रतिवादी संख्या 11 है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 11 के कब्जे खातेदारी भूमि में से आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 1104/741 के काबिज खातेदार प्रतिवादी संख्या 11 औंकार से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 8 फुट चौड़े रास्ता की लिखावट दिनांक 05.10.2007 को लिखकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई गई थी। उक्त औंकारसिंह का स्वर्गवास उपरान्त उनके जायज वारिसान प्रतिवादीगण 11/1 लगायत 11/5 है जिन्होंने मौके पर रास्ते से आवागमन हेतु मना कर दिया तथा भूमि का विभाजन कराने से भी इन्कार कर दिया। वादी वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1103/740, 1104/741, 1325/708, 1645/705, 1646/707, 700, 701, 702, 706, 731, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 744, 745 व 746 रकबा 0.14 है0, 0.52 है0, 0.31 है0, 0.61 है0, 1.65 है0, 0.93 है0, 4.73 है0, 0.98 है0, 0.50 है0, 1.49 है0, 1.08 है0, 0.02 है0, 1.17 है0, 0.11 है0, 1.98 है0, 1.14 है0, 0.02 है0, 0.23 है0, 0.13 है0 व 2.33 है0 कुल किता खसरा 20 कुल रकबा 20.07 है0 भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने तथा विवादित आराजी में वर्णित खसरा नम्बर 702 रकबा 0.98

है0, खसरा नम्बर 1103/740 रकबा 0.14 है0 में हिस्सा 1/2 रकबा 0.07 है पूर्वी भाग, भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 1.98 है0 का पूर्वी भाग हिस्सा 1/2 रकबा 0.99 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 739 रकबा 0.11 है0 में हिस्सा 1/2 अर्थात् 0.550 है0 कुल भूमि रकबा 2.095 है0 भूमि की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है तथा भूमि खसरा नम्बर 1104/741 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 8 फुट चौड़ा रास्ता आवागमन हेतु घोषित करवाने के साथ प्रतिवादी संख्या 11 के हिस्से में रकबा कम करते हुए विभाजन की डिक्री कायम की जाकर तदनुसार विभाजन करवाने का अधिकारी है। उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत् विभाजन करवाकर खाता अलग–अलग कायम कर लगान अलग–अलग किये जाने के वादी एवं प्रतिवादीगण विभाजन करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं द्वारा दिनांक 03.07.2023 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/389 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली किये गये। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप कुमार महला ने दिनांक 10.01.2024 को वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 11/2 मनोज कुमार ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 पेश किया गया। जिसका जबाव वादी ने दिया तथा निवेदन किया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा उचित तामिल होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 दिनांक 02.08.2024 को खारिज किया गया। अधिवक्ता वादी की ओर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। वकील पक्षकारान की बहस उपरान्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 28 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 28/1 लगायत 28/4 की रजिस्ट्री रसीद मय डिलीवरी रिपोर्ट पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 28/1 लगायत 28/4 बावजुद तामिल अनुपस्थित। तामिली विधिवत् पूर्ण होने के पश्चात् सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी पक्षकार अपना पक्ष नहीं रखते है या अनुपस्थित होते हैं, तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत् एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत् तामिल होने के पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या 28/1 लगायत 28/4 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हे EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस विभाजन प्रस्ताव सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील वादी पर बगौर मनन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादीगण अंतिम तौर पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1103/740, 1104/741, 1325/708, 1645/705, 1646/707, 700, 701, 702, 706, 731, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 744, 745 व 746 रकबा 0.14 है0, 0.52 है0, 0.31 है0, 0.61 है0, 1.65 है0, 0.93 है0, 4.73 है0, 0.98 है0, 0.50 है0, 1.49 है0, 1.08 है0, 0.02 है0, 1.17 है0, 0.11 है0, 1.98 है0, 1.14 है0, 0.02 है0, 0.23 है0, 0.13 है0 व 2.33 है0 कुल किता खसरा 20 कुल रकबा 20.07 है0 भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/389 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार वादी वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान शिशुपालराम बनाम अमीचन्द वगै0

मुकदमा नं. : 356 / 2024

निर्णय दिनांक : 01.04.2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप कुमार महला की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 12.03.2025 को सुप्रिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम सिंगनौर पटवार हल्का सिंगनौर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1103 / 740, 1104 / 741, 1325 / 708, 1645 / 705, 1646 / 707, 700, 701, 702, 706, 731, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 744, 745 व 746 रकबा 0.14 है0, 0.52 है0, 0.31 है0, 0.61 है0, 1.65 है0, 0.93 है0, 4.73 है0, 0.98 है0, 0.50 है0, 1.49 है0, 1.08 है0, 0.02 है0, 1.17 है0, 0.11 है0, 1.98 है0, 1.14 है0, 0.02 है0, 0.23 है0, 0.13 है0 व 2.33 है0 कुल किता खसरा 20 कुल रकबा 20.07 है0 भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा अपने पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 389 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय / डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा वादी वहन करें। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे हस्ताक्षार एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा मूर्तिब किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	3	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	4	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर झुन्झुनू